

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
19 ⁰² / ₂₀	<p>पत्राली पेश हुई। वकील वादीगण अपन प्रतिवादी सं. 10 की तामिल सम्पक रूप से दी चुकी है। बावजूद सम्पक तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 10 के विरुद्ध एफपीय कार्यवाही अमल में लाली जारी है। वकील वादीगण ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्राली, पत्राली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रतिवादी सं. 2, 3, 7 की ओर से पेशशुदा राजीनामा तथा प्रतिवादी सं. 1, 4 तथा 6 तथा 8, 9 की ओर से पेशशुदा इकबाली जवाब का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर मुताबिक राजीनामा दिनांकित 09/09/19 तथा इकबाली जवाब दिनांकित 09/09/19 व 20/09/19 स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि :-</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>वादीगण का वाद पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांकित 09/09/19 तथा इकबाली जवाब दिनांकित 09/09/19 तथा 20/09/19 के मुताबिक डिक्री किया जाता है। उक्त राजीनामा व इकबाली जवाब दावा निर्णय व डिक्री के भाग रहेंगे। मुताबिक राजीनामा दिनांकित</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नय
अह
हुक्म
मं

09/09/19 शपथस्व रिमाई में अफल दरागद
हो। तदनुसार पचा डिमी जारी हो। पत्रवली
फैकल शुगर होकर नम्बर से कम हो तथा
बाद तमनील दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय
आज दिनांक 19/02/2020 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया।



(रणजीत सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

डिकी मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला मुकाम खण्डेला

बइजलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

- ① धीरमल पुत्र चन्द्राराम ② तुलसीराम पुत्र चन्द्राराम
③ पोखरमल पुत्र चन्द्राराम ④ पप्पुराम पुत्र चन्द्राराम ✕

बनाम

- ① बरजी पुत्री रामबन्स ② त्रिलोक पुत्र भागोरी ③
राजू पुत्र भागोरी ④ अनारी उर्फ सन्नोब पुत्री भागोरी देवी ✕

दावा बाबत घोषणा रिमाई दुस्ती व स्थाई निवेधान्त

मुकदमा नं० 124 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री रामबन्स द्वारा विचारणीय एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई रुबरु श्री

मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि

वादीगण का वाद पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांकित 09/09/2019 तथा ईफवाली जवाब दिनांकित 09/09/2019 व 20/09/2019 के मुताबिक डिकी क्रिया जाता है। उम्ह राजीनामा व ईफवाली जवाब दावा निर्गम व डिकी के भाग रहेंगे। मुताबिक राजीनामा दिनांकित 09/09/2019 शासक रिमाई में अमल दराजद हो।

निज मुबलिया बाबत खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 02 सन 2020 को जारी की गई।

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	(फास्ट ट्रेक) खण्डेला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।